अनुदान संख्या 61 - सूचना और प्रसारण मंत्रालय
GRANT No. 61 - MINISTY OF INFORMATION AND BROADCASTING

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	3955,12,00				
				4156,36,00	3998,48,02	-157,87,98
पूरक	Supplementary	201,24,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-			25,65,00	25,64,98	-2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व खंड में, कुल बचत (₹15787.98 लाख) दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹20124.00 लाख के पूरक अनुदान का 78 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थी।

बचत/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹15787.98 lakhs) constituted 78 percent of the supplementary grants of ₹20124.00 lakhs obtained in December, 2022 and March, 2023 and 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Secretariat-Social Services				
मू.	O.	9759.00			
पू.	S.	1.00	10728.68	10639.57	-89.11
पु.	R.	968.68			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2220"	Major Head "2220"				
सूचना और प्रचार	Information and Publicity				
मू.	O.	94204.00			
पू.	S.	1034.00	104212.90	100381.04	-3831.86
पु.	R.	8974.90			
मुख्य शीर्ष "2221"	Major Head "2221"				
प्रसारण	Broadcasting				
मू.	O.	283929.00			
पू.	S.	19088.00	298310.50	287073.32	-11237.18
पु.	R.	-4706.50			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	6300.00			
पू.	S.	1.00	101.00	..	-101.00
पु.	R.	-6200.00			

(I) सात शीर्षों के अंतर्गत ₹6328.40 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹6269.00 लाख – निम्नलिखित शीर्षों के तहत मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :–

(I) Provision of ₹6328.40 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilized under seven heads; of these ₹6269.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) "फिल्में – फिल्मों का निर्माण – फिल्मी सामग्री का विकास, संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी)" – ₹1300.50 लाख (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(A) "Films - Production of Films - Development, Communication and Dissemination of Filmic Content (DCDFC)" - ₹1300.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh);

(खा) "अन्य (सूचना और प्रचार) – विज्ञापन और दृश्य प्रचार – विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)" – ₹1868.00 लाख; और

(B) "Others (Information and Publicity) - Advertising and Visual Publicity - Development Communication and Information Dissemination (DCID)" - ₹1868.00 lakhs; and

(गा) "सामान्य (प्रसारण) – प्रसारभारती को अनुदान – प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीआईएनडी)" – ₹3100.50 लाख (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों में आंशिक निधियों/निधियों के पुनर्विनियोजन और शेष राशि के अभ्यर्पण के कारण उपरोक्त तीन शीर्षों के तहत प्रावधान अप्रयुक्त रहे।

(II) मुख्य शीर्ष "2221" के तहत – "प्रसार भारती–प्रसार भारती को सामान्य अनुदान" – ₹255529.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹19088.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹274617.00 लाख तक बढ़ाया गया था, जो, हालांकि, कुछ प्रतिनियुक्तियों के प्रत्यावर्तन के कारण वेतन के लिए कम धनराशि की आवश्यकता और कम छुट्टी यात्रा रियायत, कम छुट्टी नकदीकरण और कम चिकित्सा दावों की प्राप्ति के कारण ₹3534.78 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "2220" के तहत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई :–

(का) "फिल्में – फिल्मों का निर्माण" –

(क) "फिल्म्स डिवीजन" – ₹1941.60 लाख की बचत (₹5689.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेवानिवृत्ति के कारण जनशक्ति में कमी और फिल्म्स डिवीजन के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) में विलय के कारण कम गतिविधियों के कारण हुई।

(ख) "सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता" – ₹1420.00 लाख की बचत (₹7430.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम धन की आवश्यकता और निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(C) "General (Broadcasting) - Grants to Prasar Bharati - Broadcasting Infrastructure and Network Development (BIND)" - ₹3100.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh).

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2221" - "General-Grants to Prasar Bharti - Prasar Bharati" - the original provision of ₹255529.00 lakhs was augmented to ₹274617.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹19088.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹3534.78 lakhs - due to requirement of less funds towards salaries owing to repatriation of some deputationists and receipt of less leave travel concession, leave encashment and medical claims.

(III) Under Major Head "2220" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Films - Production of Films" -

(a) "Films Division" - saving of ₹1941.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5689.00 lakhs) was due to reduction in manpower owing to superannuation and less activities owing to merger of Films Division into National Film Development Corporation (NFDC).

(b) "Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata" - saving of ₹1420.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7430.00 lakhs) was due to requirement of less funds by Central Public Works Department and slow pace of construction work.

(खा) "अन्य" –

(क) "जन संचार में अनुसंधान और प्रशिक्षण – भारतीय जन संचार संस्थान" – ₹2279.26 लाख की बचत (₹5200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, परियोजनाओं के निष्पादन में देरी, केंद्रों के पूरा न होने के कारण कारण मरम्मत और रखरखाव के लिए कम धन की आवश्यकता, विभिन्न नियामक प्राधिकरणों से मंजूरी न मिलने और विक्रेताओं से बिलों की प्राप्ति में देरी के कारण हुई।

(ख) "विज्ञापन और दृश्य प्रचार–आउटरीच और संचार ब्यूरो (बीओसी)" – ₹2347.45 लाख की बचत (₹20257.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिविल निर्माण विंग से अनुमान प्राप्त न होने के कारण मरम्मत और रखरखाव कार्यों के शुरू न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कटौती करने के कारण हुई।

(ग) "प्रेस सूचना सेवाएं" –

(i) "प्रेस सूचना ब्यूरो" – ₹710.12 लाख की बचत (₹10748.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन के लिए कम धनराशि की आवश्यकता, छुट्टी यात्रा रियायत के लिए कम दावों की प्राप्ति और कुछ अधिकारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण हुई।

(ii) "अन्य मदें" – ₹2111.47 लाख की बचत (₹2718.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अध्यक्ष के नामांकन में देरी और निर्माण के उद्देश्य हेतु भूमि की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्य शुरू न होने के कारण

(B) "Others" -

(a) "Research and Training in Mass Communication - Indian Institute of Mass Communication" - saving of ₹2279.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5200.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, delay in execution of projects, requirement of less funds towards repairs and maintenance owing to non-completion of the centres, non-receipt of approval from various regulatory authorities and delay in receipt of bills from vendors.

(b) "Advertising and Visual Publicity-Bureau of Outreach and Communication (BOC)" - saving of ₹2347.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20257.00 lakhs) was due to non-commencement of repairing and maintenance works owing to non-receipt of estimation from Civil Construction Wing and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) "Press Information Services" -

(i) "Press Information Bureau" - saving of ₹710.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10748.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries, receipt of less claims towards leave travel concession and voluntary retirement of some officers.

(ii) "Other Items" - saving of ₹2111.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2718.00 lakhs) was due to delay in nomination of Chairman and non-commencement of

हुई।

construction work owing to non-availability of land for construction purpose.

(घ) "मानीटरिंग सेवाएं – इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर" – ₹674.80 लाख की बचत (₹2032.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेशेवर सेवाओं के लिए कम धन की आवश्यकता, व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी) और विक्रेता को दिए गए कार्य आदेश को रद्द करने के कारण आरएफ बिलों की मंजूरी न मिलने के कारण हुई।

(d) "Monitoring Services - Electronic Media Monitoring Centre" - saving of ₹674.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2032.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards professional services, non-approval of RF bills owing to delay in approval for Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) and cancellation of work order given to vendor.

(IV) मुख्य शीर्ष "2221" के तहत – "प्रसार भारती के लिए सामान्य अनुदान–प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीआईएनडी)" – ₹12408.90 लाख की बचत (₹28400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई परियोजनाओं पर व्यय वित्त समिति/आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) से अनुमोदन में देरी, गतिविधियों को फिर से प्राथमिकता देना और तकनीकी गड़बड़ी के कारण डायरेक्ट–टू–होम (डी टी एच) प्राप्त इकाईयों की खरीद में देरी के कारण नई परियोजनाओं को शुरू न करने के कारण हुई थी।

(IV) Under Major Head "2221" - "General-Grants to Prasar Bharati-Broadcasting Infrastructure and Network Development (BIND)" - saving of ₹12408.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28400.00 lakhs) was due to non-taking up of new projects owing to delay in approval from Expenditure Finance Committee/Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) on new projects, re-prioritization of activities and delay in procurement of Direct-to-Home (DTH) receiving units owing to technical glitch.

(V) एक शीर्ष में ₹294.22 लाख की कटौती हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत है।

(V) Under one head saving of ₹294.22 lakhs occurred constituting 25 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपरोक्त बचत का आंशिक रूप से (₹16807.24 लाख) उपयोग पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए किया गया था, जिसकी सूचना निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत ₹1036.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही दे दी गई थी :–

2.(I) The above savings were partly (₹16807.24 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹1036.00 lakhs - under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय–सूचना और प्रसारण मंत्रालय" – ₹968.68 लाख। हालाँकि, वास्तविक अधिशेष ₹879.57 लाख हुआ था।

(A) Major Head "2251" - "Secretariat-Ministry of Information and Broadcasting" - ₹968.68 lakhs. Actual excess, however, was ₹879.57 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2220" –

(B) Major Head "2220" -

(क) "फिल्में – फिल्मों की उत्पादन" –

(a) "Films - Production of Films" -

(i) "फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे" – ₹1314.00 लाख। हालाँकि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1313.63 लाख हुआ था।

(ii) "फिल्मी सामग्री का विकास, संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी)" – ₹1283.50 लाख। हालाँकि, वास्तविक अधिक व्यय ₹869.77 लाख हुआ था।

(iii) "राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी)" – ₹1003.00 लाख। हालाँकि, वास्तविक अधिक व्यय ₹821.98 लाख हुआ था।

(ख) "अन्य – विज्ञापन और दृश्य प्रचार – विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)" – ₹12238.06 लाख। हालाँकि, वास्तविक अधिक व्यय ₹10923.86 लाख हुआ था।

(II) मुख्य शीर्ष "2220" – "अन्य – प्रकाशन – प्रकाशन प्रभाग" के तहत बचत की भरपाई भी की गई – ₹3648.83 लाख का अधिक व्यय (₹5081.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनिवार्य मुद्रण कार्यों, बाहरी इकाईयों के लंबित किराया बिलों और लंबित कमीशन बिलों के निपटान के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता के कारण हुआ था।

(III) एक शीर्ष में ₹434.09 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो स्वीकृत प्रावधान का 33 प्रतिशत है।

(i) "Film and Television Institute of India, Pune" - ₹1314.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1313.63 lakhs.

(ii) "Development, Communication and Dissemination of Filmic Content (DCDFC)" - ₹1283.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹869.77 lakhs.

(iii) "National Film Development Corporation (NFDC)" - ₹1003.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹821.98 lakhs.

(b) "Others - Advertising and Visual Publicity - Development Communication and Information Dissemination (DCID)" - ₹12238.06 lakhs. Actual excess, however, was ₹10923.86 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2220" - "Others - Publications - Publications Division" - excess of ₹3648.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5081.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards mandatory printing works, settlement of pending rent bills of outstation units and pending commission bills.

(III) Under one head excess of ₹434.09 lakhs occurred constituting 33 percent of the sanctioned provision.